

उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय), झज्जर

नजदीक बाग जॉहआरा स्टेडियम, वन परिसर, झज्जर

दूरभाष 01251-257258 e-mail:- dfojajjar@rediffmail.com, dfojajjar@gmail.com

कमांक:- 1226

दिनांक:- 17.03.2022

सेवा में:-

Dy. General Manager-IV,
Haryana State Roads & Bridge,
Development Corporation Ltd. Rohtak.

विषय:-

Diversion of 0.948 ha. of Forest Land in favour of DGM, HSRDC, Rohtak for Construction of 3 lane ROB at Village Jhajrli in lieu of LC No. 27-SPL at Km 41/4-5 (Jharli yard) on Rewari-Hisar Railway line on Chhuchhakwas-Matanhail-Bahu-Karoli road under forest division and Dist. Jhajjar. (Online proposal No. FP/HR/Road/146475/2021)-regarding.

संदर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का पत्र क्रमांक 9-HRB002/2022-CHA दिनांक 20-01-2022 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 3712 दिनांक 31-01-2022.

--◇◇--

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक 3712 दिनांक 31-01-2022 द्वारा आपको 7084644 रुपये की राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया था परन्तु भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011 (वॉल्यूम-1) दिनांक 06-01-2022 द्वारा NPV की दरों में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार अब आपको वर्तमान नामर्ज अनुसार आपको 7151744 रुपये की राशि का विवरण नीचे दिये गये निर्धारित प्रारोफार्मा में भरकर भेजा जा रहा है जो कैम्पा हरियाणा अकाउन्ट नं० SBO 1025209 Corporation Bank Block-II CGO Complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi or CAMPA Haryana A/C No. SB344902010105418 Bharti Union Bank, Sundar Nagar New Delhi में www.parivesh.nic.in ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाकर उसकी प्रति इस कार्यालय में भेजे।

1	Compensatory Afforestation	4134270
2	Additional Compensatory Afforestation	128007
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment	0
5	Safety Zone	0
6	Additional Charges	0
7	Net Present Value (NPV)	907975
8	Soil and Moisture Conservation Charges	1364309
9	Felleing Charges	203756
10	10% Charges of CA	413427
Total		7151744

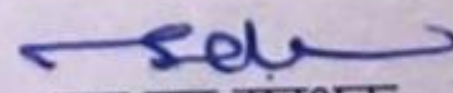
V.K. Singh
उप वन संरक्षक,
झज्जर।

पृ० क्रमांक:-

दिनांक:-

इसकी एक प्रति निम्न को:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA), हरियाणा, पंचकूला
 2. मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमंडल, रोहतक
- को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
झज्जर।